हरियाणा।राज्यविद्युतबोर्डबनामनियंत्रणप्राधिकारीएवंउप

श्रमआयुक्त, हरियाणाएवंअन्य (डी. एस. तेवतिया, जे.)

मजिस्ट्रेटसंहिताकेतहतकार्रवाईकरनेकीदृष्टिसे।केवलइसतथ्यसेकिशिकायतकर्तानेअदालतमेंअपनीशिकायतपेशकरनेकेलिएएकवकीलकोनियुक्तकियाहै, नुकसाननहींपहुँचायाजासकता; क्योंकिजिसउद्देश्यकोप्राप्तकरनाचाहागयावहवहीथा।मजिस्ट्रेटकोतत्कालमामलेमेंशिकायतकर्ताकोउसकीजांचकेलिएजेलसेबुलानाचाहिएथा।वहशक्तिनिस्संदेहउसकेपासथी।इसप्रकार, मेरेविचारमें, ऐसीप्रक्रियाअपनानेमेंमजिस्ट्रेटकीविफलतासेउसकेआदेशमेंअनौचित्यकापताचलताहैऔरइससेन्यायकागर्भपातहोगयाहै।इसलिए, मुझेउक्तआदेशकोरद्दकरनेमेंकोईझिझकनहींहै।

. (6) उपरोक्तकारणोंसे, इसयाचिकाकोस्वीकारकियाजाताहैऔरविवादितआदेशकोरद्दकरदियाजाताहै।विद्वानमजिस्ट्रेटकोनिर्देशितकियाजाताहैकिवहशिकायतपरपूर्व-निर्धारितटिप्पणियोंकेआलोकमेंऔरकानूनकेअनुसारआगेबढ़ें।शिकायतकर्ताकोअपनेवकीलकेमाध्यमसे 1 मार्च 1983 कोविद्वानमजिस्ट्रेटकेसमक्षउपस्थितहोनेकानिर्देशदियाजाताहै।

एन.के.एस.

डी. एस. तेवतियासेपहलेजे.

हरियाणाराज्यविद्युतबोर्ड,-याचिकाकर्ता

बनाम

नियंत्रणप्राधिकारीएवंउपश्रमआयुक्त,

हरियाणाऔरअन्य,-प्रतिवादी।

1976 कीसिविलरिटयाचिकासंख्या 49।

16 फ़रवरी 1983.

ग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम (1972 का XXXIX)—धारा 1(3) (बी)—पंजाबदुकानेंऔरवाणिज्यिकप्रतिष्ठानअधिनियम (1958 का XV)—धारा 2(iv), (viii) और (xxv) और 3(बी)— ग्रेच्युटीअधिनियमकेप्रावधान - क्याहरियाणाराज्यविद्युतबोर्डपरलागूहोतेहैं - स्थापनाअधिनियमकीधारा 3 (बी) - क्याबोर्डकोउक्तअधिनियमसेबाहररखागयाहै।

मानागयाकिपंजाबदुकानेंऔरवाणिज्यिकप्रतिष्ठानअधिनियम, 1958 कीधारा 3 इसतथ्यकेबारेमेंअनिश्चितताकोदूरकरतीहैकिक्याकोईउपक्रमजोजनताकोबिजलीयाप्रकाशकीआपूर्तिकरताहैवह 'प्रतिष्ठान' हैयानहीं।यदिइसअधिनियमकीधारा 3 नहींहोती, तोइसमेंप्रश्नगतपरिभाषाखंडकीव्याख्याशामिलहोती

आई.एल.आर. पंजाबऔरहरियाणा

यहतयकरेंकिक्यापरिभाषितअभिव्यक्ति 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' किसीउपक्रमजैसेउपक्रमकोकवरकरेगीयानहीं

मैंबिजलीबोर्ड. लेकिनइसअधिनियमकेप्रावधानोंकेकार्यान्वयनसेऐसेउपक्रमकोबाहरकरके, विधायिकाकातात्पर्ययहहैकियद्यपिये 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' यावाणिज्यिकप्रतिष्ठान' कीपरिभाषामेंआसकतेहैं, फिरभीअधिनियमकेप्रावधानलागूनहींहोंगे।उसीपरलागूनहींहोगा. स्थापनाअधिनियमकीधारा 3 कायहअर्थनहींलगायाजासकताकिविधायिकानेयहपरिकल्पनाकीथीकिये 'दुकान' या 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' नहींहैं।वास्तवमें, इसकामतलबकेवलइतनाथाकिस्थापनाअधिनियमकेविनियामकऔरअन्यप्रावधानऐसी 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' कोनियंत्रितनहींकरेंगेजैसाकिस्थापनाअधिनियमकीधारा 3 द्वारापहचानागयाहै।इसलिए, यहमानाजाताहैकिधारा 1(3)(बी) केप्रावधानोंकेआधारपरग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम, 1972 केप्रावधानस्पष्टरूपसेहरियाणाराज्यबिजलीबोर्डपरलागूहोतेहैं। (पैरा 4, 5 और 6)।

भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद 226 और 227 केतहतयाचिकामेंप्रार्थनाकीगईहैकिमामलेकेरिकॉर्डमांगेजाएंऔर;

(ए) आदेशपरिशिष्ट 'पी-5', दिनांक 7 नवंबर, 1975 कोरद्दकियाजाए।

(बी) किउत्तरदाताओंकोमामलेकोआगेबढ़ानेसेरोकाजाए, ताकिउत्तरदाताओं 2, 3 और 4 द्वारादावाकीजारहीग्रेच्युटीकीमात्रानिर्धारितकीजासके।

आगेप्रार्थनाकीजारहीहैकिइसयाचिकाकानिर्णयहोनेतकप्रतिवादीनंबर 1 केसमक्षलंबितआगेकीकार्यवाहीपररोकलगादीजाए।

यहभीप्रार्थनाकीजारहीहैकिअनुलग्नकोंकीप्रमाणितप्रतियोंकाउत्पादनबंदकरदियाजाए।

याचिकाकर्ताकीओरसेभागीरथदास, वरिष्ठअधिवक्ता, रमेशकुमार, उनकेसाथअधिवक्ताथे।

डी. एस. बाली, अधिवक्ता, संख्या 2 से 4 केलिए।

प्रलय

डी. एस. तेवतिया, जे.-(मौखिक)।

(1) हरियाणास्टेटइलेक्ट्रिसिटीबोर्डनेनियंत्रणप्राधिकारीऔरउपश्रमआयुक्त, हरियाणाकेआदेशकोखारिजकरदियाहै, जिसमेंकहागयाहैकिग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम, 1972 (इसकेबादइसे 'ग्रेच्युटीअधिनियम' कहाजाएगा) केप्रावधानथे।

यहांयाचिकाकर्ता, यानीहरियाणाराज्यपरलागूहोताहै

विद्युतबोर्डऔर, इसलिए, उत्तरदाताक्रमांक 2, 3 और 4

ग्रेच्युटीकेभुगतानकेहकदारथे; अन्यबातोंकेसाथ-साथइसआधारपरकिग्रेच्युटीअधिनियमकेप्रावधानोंमेंयाचिकाकर्ता - हरियाणाराज्यविद्युतबोर्ड (इसकेबाद 'बोर्ड' कहाजाएगा) शामिलनहींहैऔरइसलिए, इसकेकर्मचारीअपनीसेवानिवृत्तिपरकिसीभीग्रेच्युटीकेहकदारनहींथे।

(2) याचिकाकर्ताकीओरसेउपस्थितविद्वानवकीलश्रीभागीरथदासनेउपरोक्तरुखदोहरायाहैऔरबिंदुकेविस्तारकेमाध्यमसेउन्होंने आग्रहकियाहैकिग्रेच्युटीअधिनियमकीधारा 1 उप-धारा (3) खंड (बी) कीपरिकल्पनाकीगईहैअधिनियमकालागूहोना, अन्यबातोंकेसाथ-साथ, दुकानोंऔरप्रतिष्ठानोंकेसंबंधमेंतत्समयलागूकिसीभीकानूनकेअर्थकेअंतर्गतप्रत्येकदुकानयाप्रतिष्ठानपरलागूहोना।दुकानोंऔरप्रतिष्ठानोंसेसंबंधितएकमात्रप्रासंगिककानूनपंजाबदुकानेंऔरवाणिज्यिकप्रतिष्ठानअधिनियमहै; 1958 (इसकेबादइसे 'प्रतिष्ठानअधिनियम' कहाजाएगा); धारा 3 स्पष्टरूपसेउक्तअधिनियमकेआवेदनसेअन्यबातोंकेसाथ-साथउसउपक्रमकोबाहरकरतीहैजोजनताकोबिजलीयाप्रकाशकीआपूर्तिकरताहैऔरइसलिए, याचिकाकर्ताबिजलीबोर्डकोकिसीभीकानूनकेअर्थमेंएकदुकानयाप्रतिष्ठानकेरूपमेंनहींमानाजासकताहै।किसीदुकानयाप्रतिष्ठानपरग्रेच्युटीअधिनियमलागूकरनेकीआवश्यकता।

(3) याचिकाकर्ताकीओरसेदिएगएउपर्युक्तविवादकीजांचकरनेसेपहले, दोनोंक़ानूनोंकेप्रासंगिकप्रावधानसबसेपहलेध्यानदेनेयोग्यहैं: -

ग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम, 1972.

1' ** **

(3) यहलागूहोगा-

(ए) प्रत्येककारखाना, खदान, तेलक्षेत्र, बागान, बंदरगाहऔररेलवेकंपनी।

(बी) किसीराज्यमेंदुकानोंऔरप्रतिष्ठानोंकेसंबंधमेंउससमयलागूकिसीभीकानूनकेअर्थकेअंतर्गतप्रत्येकदुकानयाप्रतिष्ठान, जिसमेंपिछलेकिसीभीदिनदसयाअधिकव्यक्तिकार्यरतहैं, यानियोजितथे।बारहमहीने।

** **

पंजाबदुकानेंऔरवाणिज्यिकप्रतिष्ठानअधिनियम, 1958।

2. परिभाषाएँ;

** •*

(iv) "वाणिज्यिकप्रतिष्ठान" काअर्थहैकोईभीपरिसरजहांलाभकेलिएकोईव्यवसाय, व्यापारयापेशाचलायाजाताहैऔरइसमेंपत्रकारितायामुद्रणप्रतिष्ठानऔरपरिसरशामिलहैंजिसमेंबैंकिंग, बीमा, स्टॉकऔरशेयर, ब्रोकरेजऔरउत्पादविनिमयकाव्यवसायकियाजाताहै।याजिसकाउपयोगछात्रावास, रेस्तरांबोर्डिंगयाभोजनालय, थिएटर, सिनेमायासार्वजनिकमनोरंजनकेअन्यस्थानयाकिसीअन्यस्थानकेरूपमेंकियाजाताहै, जिसेसरकार, आधिकारिकराजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा, वाणिज्यिकप्रतिष्ठानघोषितकरसकतीहै।इसअधिनियमकेउद्देश्य.

** *♦ **

(viii) "प्रतिष्ठान" काअर्थएकदुकानयावाणिज्यिकप्रतिष्ठानहै;

«* ** ** ”

(xxv) "दुकान" काअर्थहैकोईभीपरिसरजहांकोईभीव्यापारसेव्यवसायकियाजाताहैयाजहांग्राहकोंकोसेवाएंप्रदानकीजातीहैंऔरइसमेंकार्यालय, स्टोर-रूम, गोदाम, बिक्री-डिपोयागोदामशामिलहैं, चाहेउसीपूर्वमेंहोंऐसेव्यापारयाव्यवसायकेसंबंधमेंउपयोगकिएजानेवालेयाअन्यथा, लेकिनइसमेंवाणिज्यिकप्रतिष्ठानयाकिसीकारखानेसेजुड़ीदुकानशामिलनहींहै, जहांदुकानमेंकार्यरतव्यक्तियोंको 'कारखानाअधिनियम, 1948 केतहतश्रमिकोंकेलिएप्रदानकिएगएलाभकीअनुमतिहै। .

3. अधिनियमकुछप्रतिष्ठानोंऔरव्यक्तियोंपरलागूनहीं: -

(ए) * * *

(बी) कोईरेलवेसेवा, जलपरिवहनसेवा, ट्रामवे, डाकतारयाटेलीफोनसेवा, सार्वजनिकसंरक्षणयास्वच्छताकीकोईप्रणालीयाकोईउद्योगव्यवसाययाउपक्रमजोजनताकोबिजली, प्रकाशयापानीकीआपूर्तिकरताहै।

(4) मेरीरायमें, स्थापनाअधिनियमकीधारा 3 इसतथ्यकेबारेमेंअनिश्चितताकोदूरकरतीहैकिक्याकोईउपक्रम

सरूपचंदऔरअन्यबनामसतीशकुमारऔरअन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.)

जोजनताकोबिजलीयाप्रकाशकीआपूर्तिकरताहैवहएक 'प्रतिष्ठान' हैयानहींहै।यदिस्थापनाअधिनियमकीधारा 3 नहींहोती, तोइसमेंपरिभाषितपरिभाषाखंडकीव्याख्याशामिलहोतीताकियहतयकियाजासकेकिक्याअभिव्यक्ति 'दुकान'3' 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान', जैसाकिपरिभाषितहै, #
मैंयाचिकाकर्ताकीतरहएकउपक्रमकोकवरकरताहूं।लेकिनइसअधिनियमकेप्रावधानोंकेआवेदनसेऐसेउपक्रमकोबाहरकरके, विधायिकाकातात्पर्ययहहैकियद्यपिये 'दुकान' 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' कीपरिभाषाकेअंतर्गतआसकतेहैं, फिरभीअधिनियमकेप्रावधाननहींहोंगेउसीपरलागूहै.

(5) मेरीरायमेंस्थापनाअधिनियमकीधारा 3 कायहअर्थनहींलगायाजासकताहैकिविधायिकानेपरिकल्पनाकीथीकिये 'दुकान' या 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' नहींहैं।वास्तवमें, इसकामतलबकेवलइतनाथाकिस्थापनाअधिनियमकेविनियामकऔरअन्यप्रावधानऐसी 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' कोनियंत्रितनहींकरेंगेजैसाकिस्थापनाअधिनियमकीधारा 3 द्वारापहचानागयाहै।

(6) उपर्युक्तकारणोंसेमेरामाननाहैकिधाराएल(; 3)(बी) केप्रावधानोंकेआधारपरग्रेच्युटीअधिनियमकेप्रावधानस्पष्टरूपसेयाचिकाकर्ता-बोर्डपरलागूहोतेहैं।उपरोक्तकेआलोकमें, मेरामाननाहैकिविवादितआदेशकानूनीहैऔरइसयाचिकामेंकोईयोग्यतानहींहैऔरइसेखारिजकरदियागयाहै, लेकिनलागतकेबारेमेंकोईआदेशनहींदियागयाहै।

एन.के.एस.

जे. वी. गुप्तासेपहले, जे.

सरूपचंदऔरअन्य, अपीलकर्ता,

बनाम

सतीशकुमारएवंअन्य, प्रतिवादी।

1974 कीनियमितद्वितीयअपीलसंख्या 1830।

17 फ़रवरी 1983.

पूर्वीपंजाबशहरीकिरायाप्रतिबंधअधिनियम (1949 का III) - धारा 13 - एकवैधानिककिरायेदारकेउत्तराधिकारीजोअपनेजीवनकालकेदौरानअलगरहरहेथे - वैधानिककिरायेदारकीमृत्यु - ऐसेउत्तराधिकारी - क्यामृत्युकेबादसमाप्तपरिसरपरकब्जाकरनेकेअधिकारकादावाकरसकतेहैंकिरायेदारकाकेवलउत्तराधिकारीहोनेकेआधारपर।

<u>स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा